सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 09.03.2025

एटीएम से छेड़खानी करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से छेड़खानी में प्रयुक्त टीन की पत्ती, 01 तमन्चा, 02 जिन्दा कारतूस 312 बोर व 01 छुरा किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना बकेवर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी शिवम शुक्ला पुत्र जय प्रकाश शुक्ला निवासी वार्ड-1 संत रविदास नगर थाना दिबियापुर जनपद औरैया द्वारा थाना बकेवर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 08.03.2025 को समय दोपहर 02.30 बजे जब वह कैश लोड करने हेतु लखना तिराहा एटीएम पर पहँचे तो 02 व्यक्तियों द्वारा एटीएम मशीन में कैश निकालने वाली जगह पर छेड़छाड़ करके रूपये निकालने का प्रयास किया जा रहा था एवं गाड़ी को देखकर वह व्यक्ति भाग गये। **सूचना पर तत्काल थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 54/2025 धारा 62/303 बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं एटीएम से धोखाधड़ी/छेड़खानी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 09.03.2025 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत नहर पुल लखना पर भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि लखना तिराहे पर स्थित एटीएम से छेड़खानी कर रूपये निकालने का प्रयास करने वाले 02 व्यक्ति झाल के पुल से ग्राम महिपालपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर **ग्राम महिपालपुर रोड से 02 व्यक्तियों को समय 03.12 बजे रात्रि में गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछः

पकड़े गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो राजेश पुत्र जयपाल के कब्जे से 01 तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस 312 बोर एवं 01 टीन की पत्ती व गौरव पुत्र श्रीराम के कब्जे से 01 छुरा बरामद किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम दोनों ने मिलकर दिनांक 08.03.2025 की दोपहर में लखना तिराहे पर स्थित एटीएम से छेड़छाड़ की थी परन्तु कैश लोड करने वाली गाड़ी के अचानक आ जाने के कारण हम लोग वहाँ से भाग गये थे।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2025 धारा 62/303 बीएनएस में धारा 324(3) बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश पुत्र जयपाल निवासी ग्राम इटौरा थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद **उम्र 45 वर्ष**।
2. गौरव पुत्र श्रीराम निवासी सारख थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद **उम्र 39 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 54/2025 धारा 62/303/324(3) बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त राजेश पुत्र जयपाल

1. मु0अ0सं0 27/2024 धारा 419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बमरौली जनपद आगरा कमिश्नरेट।
2. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 303(2)/324(4)/324(5)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 54/2025 धारा 62/303/324(3) बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. **01 तमन्चा 312 बोर**
2. **02 जिन्दा कारतूस 312 बोर**
3. **01 टीन की पत्ती**
4. **01 छुरा**

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री भूपेन्द्र कुमार राठी प्रभारी थाना बकेवर, उ0नि0 मनजीत दयाल, का0 प्रमोद कुमार, का0 संजय कुमार, का0 राघवेन्द्र सिंह।